Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 16-2024/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी, 2024
(10 माघ, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग—II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग—III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 7/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2024, दिनांक 30 जनवरी, 2024— पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2024.	75—80
भाग—IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2024

संख्या का०आ० 7/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2024.– हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 92 की उप– धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब पुलिस नियम, 1934 को हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 में, नियम 12.16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"12.16 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया.–

(1) रिक्तियों की प्रतिशतता:–

(क) सिपाही के रैंक में सभी तथा उप–निरीक्षक के रैंक में कुल पदों की पचास प्रतिशत (50%) (स्थाई तथा अस्थाई दोनों) रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से खेल कोटा के अधीन रिक्तियां समय–समय पर लागू राज्य सरकार की नीति के अनुसार खिलाड़ियों में से भरी जाएंगी;

(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या एक से अधिक तकनीकी विशेषज्ञों जैसे सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (जो पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे के न हो), मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, विषय विशेषज्ञ इत्यादि को समय–समय पर इसकी सहायता के लिए सहयोजित कर सकता है। ये विशेषज्ञ अपने–अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति होंगे;

(ग) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के प्रबन्धन के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने, उनकी प्रक्रिया करने तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि शामिल होंगे।

(2) मांग:–जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या हो, तो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेशक, कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजेगा।

(3) सार्वजनिक सूचना :– पुलिस महानिदेशक से मांग पत्र की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व राज्य के कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी में होगा, में रिक्तियां अधिसूचित करेगा। विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि होंगी । अन्य ब्यौरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की शासकीय वेबसाइट पर डाले जाएंगे ।

(4) आवेदन:– (क) उस उम्मीदवार, जिसके विरूद्व किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व आरोप तय किए हैं, को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा;

(ख) आवेदन विहित फीस के साथ होंगे तथा ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी;

(ग) पात्र उम्मीदवार को रोल नम्बर आबंटित किया जाएगा तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, प्रत्येक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र जनित करने हेतु समर्थ हो जाएगा।

(5) अर्हता परीक्षाएं:– हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक माप परीक्षा तथा शारीरिक स्क्रीनिंग टैस्ट, जो केवल अर्हता प्रवृति के होंगे, हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा (सी.ई.टी.) में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को आमंत्रित करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इतनी संख्या में बैचों में ऐसा कर सकता है, जो वह आवश्यकता समझे ताकि ज्ञान परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के विज्ञापित पदों के चार गुना के बराबर योग्य उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखा जा सके।

(6) शारीरिक माप परीक्षा :–

(क) उम्मीदवारों को हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 के परिशिष्ट ख में विहित मानकों के अनुसार शारीरिक माप परीक्षा से गुजरना होगा;

(ख) शारीरिक माप परीक्षा की सम्पूर्ण प्रकिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल मापतोल यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक उस रीति में किया जाएगा कि उम्मीदवार डिजिटल डिस्प्ले मानीटर पर उनके माप को पढ़ने में समर्थ हो;

(ग) शारीरिक माप परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(घ) उन उम्मीदवारों, जो शारीरिक माप परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं, को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा;

(ड.) केवल वही उम्मीदवार ही चयन हेतु आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो शारीरिक माप परीक्षा के हेतु विहित मानकों को अर्हक करते हैं।

(7) शारीरिक जाँच परीक्षा :– वे उम्मीदवार, जिन्होंने शारीरिक माप परीक्षा अर्हक कर ली है, आगे अपनी शारीरिक उपयुक्तता तथा सहनशीलता की जाँच करवाने के लिए शारीरिक जाँच परीक्षा में उपस्थित होंगे। इस परीक्षा के लिए विहित मानक नीचे दिए गए अनुसार होंगेः–

क्रम संख्या	उम्मीदवार	दौड़ की दूरी	अर्हक समय
1.	पुरूष	2.5 किलोमीटर	12 मिनट
2.	महिला	1.0 किलोमीटर	06 मिनट
3.	भूतपूर्व सैनिक	1.0 किलोमीटर	05 मिनट
	टिप्पणः– हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आर. एफ. आई. डी. (रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यन्त्र) या किसी अन्य उत्तम तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।		

(क) इस परीक्षा से गुजरने के लिए अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी ;

(ख) शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा;

(ग) शारीरिक जाँच परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(घ) शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करने वाले उम्मीदवारों को ही आगे की चयन प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी ।

(8) ज्ञान परीक्षा (94.5% वेटेज) :– हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उन उम्मीदवारों में से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुना के बराबर उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखेगा, जिन्होंने अपने शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक जाँच परीक्षा को अर्हक किया है, ताकि वे आगे ज्ञान परीक्षा में उपस्थित हो सकें। ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

(क) सभी उम्मीदवारों को 94.5 प्रतिशत वेटेज की ज्ञान परीक्षा देनी होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे;

(ख) परीक्षा का माध्यम द्विभाषिक अर्थात् हिंदी/अंग्रेजी होगा सिवाय जहाँ उम्मदीवारों के हिंदी/अंग्रेजी भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाना है;

(ग) परीक्षा पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामयिकी, सामान्य तर्क, बौद्धिक क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, कृषि, पशुपालन, अन्य संबंधित क्षेत्र/ट्रेड इत्यादि के प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर के बेसिक ज्ञान से सम्बन्धित कम से कम 10% प्रश्न तथा हरियाणा के बारे में बेसिक ज्ञान से संबंधित कम से कम 20% प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर सिपाही के पद के लिए 10+2 परीक्षा और उप–निरीक्षक के पद के लिए स्नातक पास शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा;

(घ) सामान्य प्रवर्ग के पद के लिए चयन हेतु विचार किए जाने के लिए, उम्मीदवार को ज्ञान परीक्षण में न्यूनतम 50% अंक (सामाजिक–आर्थिक मानदंड वेटेज को छोड़कर) प्राप्त करने होंगे। आरक्षित प्रवर्ग के पद (चाहे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज) के लिए विचारण की दशा में उम्मीदवार को 10% की छूट मिलेगी अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 40% (सामाजिक–आर्थिक मानदंड वेटेज को छोड़कर) होगी।

(9) आवश्यक योग्यता -:

(i) सिपाही के लिए :– किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10+2 ;

(ii) उप निरीक्षक के लिएः– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

किसी उच्चतर शिक्षा के लिए कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा।

(10) अतिरिक्त वेटेज (अधिकतम 3+2.5 = 5.5 अंक):–

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाणपत्रः– राष्ट्रीय कैडेट कोर का ए, बी या सी स्तर का प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक मिलेंगे (सिपाही तथा उप निरीक्षक के लिए);

(ख) सामाजिक–आर्थिक मानदंडः– समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य पात्रता परीक्षा, 2022 के माध्यम से ग्रुप ग तथा घ पदों हेतु भर्ती के लिए नीति के अनुबंध "बी" के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को अधिकतम ढ़ाई (2.5) प्रतिशत सामाजिक–आर्थिक मानदंड वेटेज स्वीकार्य होगा।

(11) परीक्षा परिणाम :–

(क) पृथक रूप से प्रत्येक वर्ग के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा ज्ञान परीक्षा + उपरोक्त उप–नियम 10 के अनुसार अतिरिक्त योग्यता में प्राप्त योग अंकों के आधार पर मैरिट के क्रम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्ध किए जाएंगे ;

(ख) यदि जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

(ग) जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक के साथ–साथ ज्ञान परीक्षा में अंक भी बराबर हैं, तो योग्यता का क्रम आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा अर्थात् आयु में छोटे से आयु में बड़े को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा;

(घ) जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक के साथ–साथ ज्ञान परीक्षा में अंक भी बराबर हैं तथा जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यताक्रम उनकी उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा;

(ड.) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को पृथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित मांग पत्र की रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिश की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा पुलिस की शासकीय वेबसाइटों पर भी डाली जाएगी;

(च) उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उम्मीदवारों के चिकित्सा उपयुक्तता तथा चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित करवाए जाएंगे। उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार चिकित्सीय रूप से फीट नहीं था/नहीं है या नए सिरे से उसके चरित्र के बारे में प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है या उसके प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई है, तो वह सेवा में बने रहने हेतु प्रात्र नहीं होगा। चिकित्सा अधारों या चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के सत्यापन या अन्यथा से उम्मीदवारी के रद्दकरण के कारण विज्ञापित रिक्तियां, यदि कोई हों नहीं भरी जाती हैं, तो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी;

(छ) प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि के दौरान नवचयनित/नियुक्त पदधारियों के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण सहित किसी भी कारण से रिक्त होने वाली सभी रिक्तियां राज्य द्वारा समय–समय पर जारी हिदायतों के अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरी जाएंगी ;

(झ) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार मुख्य सूची के साथ–साथ प्रतीक्षा सूची की समाप्ति के दिन को रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं, तो आगामी भर्ती में विचार में लाई जाएंगी।

(12) विशेष भर्ती– भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति हेतु लागू नहीं होगी। हरियाणा पुलिस की विशेषीकृत विंग अर्थात् दूरसंचार विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, भारतीय रिजर्व वाहिनी, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, बैंड और विगुलवादक अमला, घुड़सवार पुलिस, कुत्ता दस्ता, साइबर सैल तथा विशेष योग्यता या अनुभव रखने वाले पदधारियों तथा अन्य विशेषीकृत विंगों, जो स्वीकृत हैं या जो भविष्य में राज्य सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए जाएं, में सिपाहियों की भर्ती के लिए भी लागू नहीं होगी ।"।

टी०वी०एस०एन० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 2024

No. S.O. 7/H.A.25/2008/S.92/2024.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India read with sub section (I) of section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Police (Haryana Amendment) Rules, 2024.

2. In the Punjab Police Rules, 1934, for rule 12.16, the following rule shall be substituted, namely: -

"12.16 Procedure for direct recruitment.-

(1) Percentage of vacancies: -

(a) All vacancies in the rank of Constable and fifty percent (50%) of the total sanctionedposts (both temporary and permanent) in the rank of Sub-Inspector shall be filled up by direct recruitment through the Haryana Staff Selection Commission:

Provided that vacancies under Sports quota out of the vacancies to be filled up by direct recruitment shall be filled up from amongst sportspersons in accordance with policy of the State Government applicable from time to time.

(b) The Haryana Staff Selection Commission may co-opt one or more technical experts such as serving or retired police officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police), psychologist, doctor, subject matter expert etc. from time to time, to assist it. These experts shall be persons of repute in their respective fields having minimum ten years experience.

(c) The Haryana Staff Selection Commission shall be responsible for maintaining a computerbased Management Information System for managing the entire selection process including, *inter alia*, receiving on-line applications, their processing and preparation of the result etc.

(2) Requisition: -Whenever there is sufficient number of vacancies for direct recruitment, the Director General of Police, shall after the approval of the State Government, send the requisition to the Haryana Staff Selection Commission.

(3) Public Information: -On receipt of requisition from the Director General of Police, the Haryana Staff Selection Commission shall notify the vacancies at least fifteen days prior to the last date for submission of applications in atleast two prominent daily newspapers in the State, one of which shall be in Hindi and the other in English. The advertisement shall give detail of vacancies, mode of application and the eligibility conditions etc. The other details shall be posted on the official website of the Haryana Staff Selection Commission.

(4) Applications:-(a)A candidate against whom a criminal court has framed charges on or before the last date of submission of application form shall not be considered eligible to submit application form.

(b) Applications must be accompanied with prescribed fee and shall be received online. The information submitted online by the candidate shall be final.

(c) Roll number shall be allotted to the eligible candidate and shall be uploaded on the official website of the Haryana Staff Selection Commission. Once the roll numbers are allotted, each candidate shall be able to generate admit card to join the process of selection.

(5) Qualifying tests:-Haryana Staff Selection Commission shall invite adequate number of candidates on the basis of merit obtained by them in Common Eligibility Test (CET),for Physical Measurement Test and then for Physical Screening Test both of which shall be of qualifying nature only. The Haryana Staff Selection Commission may do so in such number of batches, as it deems necessary, so as to shortlist qualified candidates equal to four times the number of advertised posts of each category for Knowledge Test.

(6) Physical Measurement Test: -

(a) The candidate shall have to undergo Physical Measurement Test, as per standards prescribed in **Appendix-B** of the Haryana Police (Non-Gazetted and Other Ranks) Service Rules, 2017.

(b) To make the entire process of the Physical Measurement Test tamper proof, fair and impartial, standard digital measurement devices shall be used to the extent possible in a manner that the candidates are able to read their measurements on a digital display monitor.

(c) The result of Physical Measurement Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission and shall be displayed on its official website.

(d) The candidates who fail to meet the standards prescribed for Physical Measurement Test shall stand eliminated from further selection process.

(e) Only the candidates who qualify the standards prescribed for Physical Measurement Test shall take part in the further process of selection.

(7) **Physical Screening Test:** -The Candidates who have qualified Physical Measurement Test shall further appear in Physical Screening Test to judge their physical fitness and endurance. The standards prescribed for this test shall be as under:-

Candidate	Race distance	Qualifying Time
1. Male	2.5 Kilo Meters	12 Minutes
2. Female	1.0 Kilo Meter	6 Minutes
3. Ex-Serviceman	1.0 Kilo Meter	5 Minutes
Note:-RFID (Radio Frequency Identification Device) or any other superior and reliable technology shall be used to ensure reliability of this test at the discretion of the Haryana Staff Selection Commission.		

(a) The responsibility of having the requisite medical fitness to undergo this test shall rest upon the candidate.

(b) The candidates who fail to meet the standards prescribed for Physical Screening Test shall stand eliminated from further selection process.

(c) The result of Physical Screening Test shall be prepared by the Haryana Staff Selection Commission and shall be displayed on its official website.

(d) Only the candidates who qualify the standards prescribed for Physical Screening Test shall be allowed to take part in further process of selection.

(8) **Knowledge Test(94.5% weightage):** -The Haryana Staff Selection Commission shall shortlist candidates equal to four times the number of advertised posts for each category among those who have qualified theirPhysical Measurement Test and Physical Screening Test, tofurther appear in the Knowledge Test. The detailed procedure of test shall be as follows:

(a) All candidates shall have to undergo a knowledge testof ninety-fourpointfive percent (94.5%) weightage comprising of objective type, multiple choice questions. Each question will carry equal marks.

(b) The medium of examination shall be bilingual i.e. Hindi/English except where the knowledge of Hindi/English language of the candidates is to be tested.

(c) The test paper shall include questionson General Studies, General Science, Current Affairs, General Reasoning, Mental Aptitude, Numerical Ability, Agriculture, Animal Husbandry, other relevant fields/trade etc. There shall be atleast10% questions relating to basic knowledge of computerand atleast20% questions relating to basic knowledge about Haryana. The standard of questions shall be as expected of an educated person, having passed 10+2 examination for the post of Constable and graduation for the post of Sub-Inspector.

(d) For being considered for selection against a post of general category, a candidate has to secure minimum 50% marks (excluding socio-economic criteria weightage) in the Knowledge Test. In case of consideration against a reserved category post (whether vertical or horizontal) the candidate shall receive a concession of 10% i.e. the minimum cut off for such candidates shall be 40% (excluding socio-economic criteria weightage).

(9) **Essentialqualification: -**

(i) **For Constable: -** 10+2from a recognized Education Board/ Institution;

(ii) **For Sub-Inspector: -** Graduation from a recognised University.

No extra weightage will be given for any higher education.

(10) Additional Weightage (maximum 03 + 2.5 =5.5 marks):-

(a) **NCC certificate:** Candidates having NCC certificate of A, Bor C level shall get 01, 02 and 03 marks respectively (for both Constables and Sub Inspectors).

(b) **Socio Economic Criteria:** -Maximum two and half (2.5) percent socio-economic criteria weightage shall be admissible to eligible candidates as per Annexure 'B' of the 'Policy for Recruitment to Group C and D Posts through Common Eligibility Test, 2022', as amended from time to time.

(11) Result of examination: -

(a) The names of successful candidates who have qualified Knowledge Test, in the order of merit on the basis of aggregate marks i.e. marks obtained in Knowledge Test +AdditionalWeightage as per sub rule 10 above,shall be finalized by the Haryana Staff Selection Commission, equalto the total number of vacancies advertised for each category separately.

(b) In case two or more candidates have the same aggregate score, the order of merit shallbe determined by the higher score achieved in the Knowledge Test.

(c) Whereas two or morecandidates have the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test also, the order of merit shall be guided by the age of thecandidate, i.e. the older being placed higher than the younger ones.

(d) Where two or more candidateshave the same aggregate score as well as the same score in Knowledge Test and their date of birth is also same, the order of merit shall be in favour of the candidate having higher educational qualification.

(e) The HaryanaStaff Selection Commission shall recommend the names of successful candidates equal to the total number of vacancies requisitioned in each category, separately to the Director General of Police for appointment. The list of candidates so recommended shall also be put on the official websites of the Haryana Staff Selection Commission and Haryana Police.

(f) Medical fitness and verification of character and antecedents of the candidatesshall be got verified by the appointing authority before issuing appointment letter to the candidates. Even after joining of the candidate, if it is revealed that candidate was/is not medically fit or fresh adverse verification report about his character is received or genuineness of his certificates is not verified, he shall not be eligible to continue in job. Vacancies advertised, if any, remainunfilled due to rejection of candidate (s) on medical grounds or verification of character and antecedentsor otherwise shall be filled up fromamongstselected incumbents from the waiting list during period of validity of the waiting list, as per instructions issued by the State Government from time to time.

(g) All vacancies falling vacant for any other reason including due to resignation or death of newly selected/appointed incumbents during the period of validity of the waiting list, shall be filled up from the waiting list, as per instructions issued by the State Government from time to time.

(h) Vacancies which are not filled up on the day of expiry of the main list, as well as the waiting list, as per instructions issued by the State Government from time to time, shall be considered in the next recruitment.

(12) Special Recruitment: -The above procedure of recruitment shall not apply to the appointment of the children of deceased police officials under the ex-gratia scheme, if any, of the Haryana Government. It shall also not apply to the recruitment of Constables in specialized wings of the Haryana Police viz; Telecommunication wing, Haryana Police Commando Force, Indian Reserve Battalion (IRB), State Crime Record Bureau, Band and Buglers Staff, Mounted Police, Dog Squad, Cyber Cell and officials with special qualification or experience and to other specialized wings which are sanctioned or may be created/sanctioned by the State Government in future.

The procedure for these specialized wings shall be such, as approved by the State Government, on the recommendation of the Director General of Police from time to time.''.

T. V. S. N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

10851—L.R.—H.G.P., Pkl.